

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय

प्लाट नं0-18, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ

e-mail: diruplb@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या— २९। /०२/OM&M Cell/2021-22

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।
2. सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।
3. निदेशक,
नगरीय निकाय, निदेशालय,
लखनऊ।
4. सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

महोदय / महोदया,

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—शासनादेश संख्या—5483 / नौ—5—2017— 447सा / 2017 दिनांक 12.02.2018 द्वारा कुल 04 जोन— लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर), आगरा एवं गाजियाबाद (गाजियाबाद, पिलखुआ, लोनी, अनूपशहर, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) हेतु वन सिटी—वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एस.टी.पी.) व इससे जुड़े इनकारास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक (10 वर्ष) के संचालन, रख—रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

2. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सैटेलमेंट की स्वतुति हेतु शासनादेश संख्या—504 / नौ—5—2020—394सा / 2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा निमानुसार समिति गठित की गयी है।

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
4	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0	सदस्य—सचिव
5	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
6	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य

3. लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेण्डा—वार फर्म द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष जल निगम से प्राप्त प्रमाणित बिलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक अपर प्रमुख सचिव, नगर विकास, की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2021 को अपराह्न 03:00 बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में आहूत की गयी थी। अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित आहूत बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(मनीष कुमार सिंह)
सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि—

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, को महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—9, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (लखनऊ/गाजियाबाद/आगरा/गोरखपुर क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम।
4. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक, जल कल विभाग (नगर निगम), लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या एवं गाजियाबाद एवं अन्य संबंधित शहर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर एवं अयोध्या।

सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

संख्या : २९।०२।०८२१ (०१) / २०२१-२२
दिनांक : २३।१२।२०२१

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक 14.12.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-२३१९ / नौ-५-२०१९-३९४सा / २०१८ दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-८४९ / नौ-९-१९-८९ज / २००१ दिनांक 18 जुलाई, २०१९ द्वारा मूल बजट रु० २५०.०० करोड एवं शासनादेश संख्या-२७४८ / नौ-९-२०-८९ज / २००१, दिनांक ३०.१२.२०२० द्वारा पुनरीक्षित बजट रु० ३५०.०० करोड प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी हैं। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-५०४ / नौ-५-२०२०-३९४सा / २०१८ दिनांक 03.02.2020 द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की हैं।

१	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ	अध्यक्ष
२	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
३	निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
५	उप/सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
६	मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव

उक्त समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2021 को अपराह्न ०३:०० बजे सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेंडा प्रस्तुत किया गया एवं एजेंडा के अनुसार विन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेंडा निम्नवत् है:

एजेंडा (i) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.10.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या का अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया। समस्त विन्दुओं पर दिये गये निर्देशों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

विन्दु सं०	दिनांक 23.10.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 14.12.2021 को अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देश
१	विद्युत बिलों में कमी करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने के लिये प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर लिया जाये जिसमें	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या २४६३ / नागर-२ / ०३३-वन सिटी वन ऑपरेटर / २१	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 13.12.2021 को बैठक सम्पन्न हो गयी है तथा साथ ही यह भी अवगत कराया गया

	<p>समिति द्वारा संज्ञान लिया गया एवं की गयी कटौतियों के विवरण का अवलोकन किया गया।</p>	<p>कार्यवाही पूर्ण</p>	<p>निश्चिपित।</p>
2	<p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-241/2/OM&M/21-22 दिनांक 26.10.2021 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। मा० अध्यक्ष, समिति के अवलोकनार्थ संलग्न है।</p>	<p>प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक पत्र संख्या-241/2/OM&M/21-22 दिनांक 26.10.2021 द्वारा जारी मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराये जाने वाले कार्यों के चिन्हांकन हेतु निर्गत कार्यवृत्त को मा० अध्यक्ष, समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>बैठक में मुख्य अभियन्ता/ सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि</p>
3	<p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 26.10.2021 तक जारी करने के निर्देश दिये गये। उक्त कार्यवाही को आगामी दिसम्बर 2021 को होने वाली बैठक में अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए।</p>	<p>क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं नगर आयुक्त द्वारा कार्यवाही अपेक्षित</p>	

<p>साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि एस०टी०पी० से संबंधित कार्यों को क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं सीवर से संबंधित कार्यों को संबंधित नगर आयुक्त (नगर पालिका के केस में महाप्रबन्धक जलकल) द्वारा कार्यों की प्राथमिकता 3 सप्ताह के अन्दर तय कर ली जाये।</p> <p>इसके अतिरिक्त 16.08.2021 से पूर्व मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत जो कार्य रखीकृति की प्रत्याशा में कराये जा चुके हैं उनको संकलित करते हुये प्राथमिकता पर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम के समक्ष संबंधित नगर आयुक्त / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम के माध्यम से दिनांक 30. 10.2021 तक प्रस्तुत कर दिया जाये। उक्त कार्यों का औचित्य, किस रुपर से रखीकृति प्राप्त है एवं तकनीकी परीक्षण प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराकर तीन सप्ताह के अन्दर ओ०एम० ए०प्र० सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये। दिनांक 16.08.2021 के पश्चात किये गये/किये जाने वाले कार्यों को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को यह निर्देशित किया गया कि इस आशय का पत्र जारी करें कि मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष दिनांक 16.08.2021 से पहले कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाए तथा दिनांक 30.10.2021 के पश्चात प्राप्त प्रकरणों पर कोई भुगतान की कार्यवाही संभव नहीं होगी।</p>	<p>है।</p> <p>क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं नगर आयुक्त कार्यवाही अपेक्षित है, जिस हेतु संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नगर) द्वारा अपने पत्र संख्या—2503/ नगर-2/033-वन सिटी बन आपरेटर दिनांक 09. 12.2021 के द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को उक्त के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जा चुके हैं।</p> <p>मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत किसी भी पैकेज में दिनांक 16.08.2021 से पूर्व कराए जा चुके कार्यों एवं दिनांक 16.08.2021 के पश्चात कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।</p> <p>अतः मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड में एस्को एकाउंट से कोई भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है।</p>	<p>मुख्य अभियन्ता (ल.क्षे.) के पत्र संख्या—1936/मु.अभि. (ल.क्षे.) कार्य-45/247 दिनांक 10.12.21 मुख्य अभियन्ता (आगरा) के पत्र संख्या—3929/47 / 371 दिनांक 14.12.21 द्वारा एस.टी.पी. एवं एस.पी.एस. हेतु प्राथमिकता तय कर प्रेषित कर दी गयी है। सीवर नेटवर्क हेतु नगर आयुक्त द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गयी है।</p> <p>3.1— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये किए समिति नगर आयुक्त से सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।</p> <p>कार्यवाही:- सदस्य सचिव, मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०ए०प्र० ए०सेल / संबंधित नगर आयुक्त।</p> <p>मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड हेतु प्रेषित प्रस्ताव में लेबर एवं जी०एस०टी० समिलित किया गया है जिसके कारण प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करना संभव नहीं हो पा रहा है।</p> <p>3.2— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि फर्मों के साथ प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर ली जाये जिसमें मुख्य अभियन्ता (ल.क्षे०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, श्री संजय कुमार सिंह (सलाहकार, ओ०एम० ए०प्र० ए०सेल), व श्री सौरभ श्रीवास्तव (अधिशासी अभियन्ता) ओ०एम० ए०प्र० ए०सेल सदस्य होंगे। बैठक में इस विषय में उनको स्पष्टता प्रदान की जाये।</p> <p>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/ओ०एम०ए०प्र० ए०सेल</p> <p>प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 16.08.2021 से पूर्व मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत जो</p>
---	---	---

2

15

3

15

✓

15

	(कार्यवाही— संबंधित नगर आयुक्त/ उ0प्र0 जल निगम)	<p>कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में कराये जा चुके हैं, उन कार्यों के औचित्य, किस स्तर से स्वीकृति प्राप्त है एवं तकनीकी परीक्षण हेतु समिति गठित की गयी हैं, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।</p> <p>3.2— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त समिति अपनी रिपोर्ट 10 दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रेषित करे तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ESCROW हेतु बैठक आगामी माह में करायी जाये।</p> <p>कार्यवाही— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)/ सदस्य सचिव – मुख्य अभियन्ता ओ0 एम0 एण्ड एम0 सेल।</p>
4	<p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) को निर्देश दिये गये कि 10 दिन के अन्दर सीवर नेटवर्क का विस्तृत निरीक्षण कराकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) को यह भी निर्देश दिये गये कि क्षेत्र के नियंत्रणाधीन एस0टी0पी0 व एस0पी0एस0 के कार्यों की प्राथमिकता तय कर लें।</p> <p>प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को यह निर्देश दिया कि शासन स्तर से संबंधित नगर आयुक्त/ महाप्रबन्धक जलकल की जिम्मेदारी तय करते हुये समान्य निर्देश जारी किये जाये जिससे लखनऊ के बालू अड्डा जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। साथ ही पत्र में नगर आयुक्त को यह भी निर्देश जारी हो जाये कि सीवर मैन्टीनेंस में माइनर वर्क को चिह्नित कर के रेगुलर ओ0एम0एण्ड एम0 के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त Preventive Maintenance हेतु आवश्यक कार्यों का भी चिन्हांकन नगर आयुक्त द्वारा किया जाये।</p> <p>(कार्यवाही— मु0अभि0,</p>	<p>मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>4.1— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पेयजल की लाइन की शिपिटिंग का कार्य प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक द्वारा मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की चिन्हांकन हेतु पत्र संख्या—241 / 2 / OM&M /</p>

	ल०क्षो/प्र०नि०, जल निगम)	<p>21-22 दिनांक 26.10.2021 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही की जाये।</p> <p><u>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/ निदेशक, स्थानीय निकाय/मुख्य अभियन्ता (ल०क्षो) उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/ नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल</u></p> <p>मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के पत्रांक 2507/नागर-2/033—वन सिटी वन ऑपरेटर/21 दिनांक 10.12.2021 द्वारा संबंधित नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल की जिम्मेदारी तय करते हुये समान्य निर्देश जारी किये गये।</p> <p>4.2— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संबंधित महाप्रबन्धक, जलकल को निर्देश दिये गये कि सीवर रखरखाव हेतु रेगुलर एवं प्रीवेन्टिव मैंटेनेन्स के कार्यों के चिन्हांकन हेतु नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर कार्यवाही अगली प्रस्तावित बैठक से पूर्व करा ली जाये। निदेशक, स्थानीय निकाय अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करेंगी।</p> <p><u>कार्यवाही:- निदेशक, स्थानीय निकाय/सम्बंधित नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल</u></p> <p>4.3— साथ ही अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को निर्देश दिये गये कि 10 लाख की आबादी से अधिक वाले नगर निगमों एवं गोरखपुर नगर निगम से उक्त सूचना प्राप्त कर समिति के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत करें।</p> <p><u>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</u></p>
5	अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुये यह निर्देश दिये गये कि इस हेतु एक समिति का गठन किया जाये जिसके	<p>गठित समिति द्वारा दिनांक 22.11.2021 एवं 23.11.2021 को गाजियाबाद, लोनी, मेरठ एवं सहारनपुर के विभिन्न जोन के शेष एस०टी०पी० का</p> <p>श्री संजय कुमार सिंह (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल) द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद जोन के शेष एस०टी०पी० का</p>

<p>संयोजक मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद एवं अन्य प्रतिनिधि, श्री संजय कुमार सिंह, कंसल्टेन्ट, ओ०ए०० एण्ड एम० सेल एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद होंगे। बैठक में श्री संजय कुमार सिंह, कंसल्टेन्ट, ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि श्री डी०पी० सिंह, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम जोकि सीवरेज एवं एस०टी०पी० के कार्यों हेतु एक्सपर्ट है तथा भारत सरकार के CPHEEO कमेटी के सदस्य भी हैं को भी इस कमेटी के सदस्य के रूप में लिये जाने पर विचार किया जा सकता है।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कमेटी गाजियाबाद जोन के संबंधित एस०टी०पी० का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत करें कि न्यूनतम व्यय में Fecal coliform norms को मानक के अनुरूप प्राप्त किया जा सके।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा गाजियाबाद जोन में अधिक मात्रा में सी०ओ०डी० पहुंचने पर चिंता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि उपरोक्त गठित कमेटी संबंधित एस०टी०पी० का निरीक्षण कर सी०ओ०डी० के मानक फेल होने के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करें एवं अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि नगर विकास अनुभाग-९ द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण</p> <p>एस०टी०पी० का निरीक्षण किया गया। समिति की रिपोर्ट सलग्न है तथा रिपोर्ट के मुख्य अंश एजेण्डा (viii) पर है। गाजियाबाद जोन के शेष एस०टी०पी० का निरीक्षण अगली तिथि में किया जाएगा।</p>	<p>निरीक्षण तिथि दिनांक 27 व 28.12.2021 निर्धारित की गयी है। श्री सिंह (सलाहकार, ओ०ए०० एण्ड एम० सेल) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कमेटी ने फीकल कॉलीफार्म रिमूवल हेतु श्री डी०पी० सिंह (एक्पर्ट) द्वारा सुझाव दिये गये हैं जिसे क्रियान्वित कर फीकल कॉलीफार्म को मानक के अनुरूप शोधन किया जा सकता है।</p> <p>5.1— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्त कार्य दिनांक 16.08.2021 की बैठक में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति हेतु अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत सम्पादित कराये जायें।</p> <p>कार्यवाही:- मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद जल निगम (नगरीय))</p> <p>अग्रेतर मुख्य अभियन्ता (ओ०ए०० एण्ड एम० सेल)/सदस्य सचिव तथा श्री संजय कुमार सिंह, सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि कमेटी, जिसमें मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद एवं अन्य प्रतिनिधि, श्री संजय कुमार सिंह, कंसल्टेन्ट, ओ०ए०० एण्ड एम० सेल, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद एवं श्री डी०पी० सिंह, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम सदस्य हैं, की दिनांक 22.11.2021 एवं 23.11.2021 के निरीक्षण की आख्या के अनुसार लोनी 30 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में कुछ यूनिट काम नहीं कर रहे थे उसके उपरान्त भी टेस्ट रिपोर्ट स मानक के अनुसार दर्शायी गयी जोकि संभव नहीं है। इसी प्रकार सहारनपुर 38 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के समय एस०टी०पी० की दशा अत्यन्त दयनीय पायी गयी</p> <p>शासन के पत्र संख्या 2475 / नौ-9-2021-89ज/2001टी०सी०, नगर विकास अनुभाग-९ दिनांक 08.12.2021 द्वारा संबंधित को पत्र प्रेषित किया गया।</p>
---	---

नियंत्रण बोर्ड को एस०टी०पी० पर अधिक सी०ओ०डी० (अर्थात् इंडस्ट्रीयल वेस्ट) प्राप्त होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया जाये एवं प्रतिलिपि मुख्य सचिव महोदय के स्टाफ अफिसर को भी दिया जाए।

(कार्यवाही—
गांक्षे०) मु०अभि०,

तथा एस०टी०पी० लगभग बंद पाया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि एस्पर्ट सदस्य श्री डी०पी० सिंह द्वारा इस एस०टी०पी० का तीन से चार वर्ष पूर्व एस०टी०पी० का भ्रमण किया गया था, उस समय यह एस०टी०पी० प्रदेश के अच्छे एस०टी०पी० में सम्मिलित था। निरीक्षण समिति द्वारा अक्रियाशील एस०टी०पी० के ट्रीटेड एफ्लूएन्ट रिपोर्ट मानक के अनुरूप आने पर रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है।

श्री संजय कुमार सिंह (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल) द्वारा साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं श्री राम लैब (थर्ड पार्टी लैब) द्वारा दोनों ही एस०टी०पी० की रिपोर्ट समानकनुरूप दी जा रही हैं जोकि असभव है।

5.2— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यू०पी०पी०सी०बी० द्वारा रिपोर्ट सही नहीं दी गयी हैं इस संबंध में सदस्य सचिव, यू०पी०पी०सी०बी० एवं अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत करायें।

कार्यवाही:- नगर विकास अनुभाग—१,
उ०प्र० शासन।

श्री संजय कुमार सिंह, (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल) द्वारा अवगत कराया गया कि थर्ड पार्टी लैब हेतु शासन द्वारा मात्र दो लैब नामतः श्रीराम लैब एवं आई०आई०टी०आर०, लखनऊ ही नामित हैं।

5.3— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल), मुख्य अभियन्ता

(नागर), उ०प्र० जल निगम
 (नगरीय) की एक समिति गठित
 की जाती है। यह समिति थर्ड
 पार्टी टेस्टिंग हेतु लैब का
 चिन्हाकांन नियमानुसार कर
 रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी।
 कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०
 जल निगम (नगरीय), लखनऊ/ मुख्य
 अभियन्ता-सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड
 ए०० सेल।

मुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव द्वारा
गाजियाबाद जोन के लोनी एवं
सहारनपुर एस०टी०पी० के संचालन
सही न होने व बंद होने के संबंध में
दी गयी जानकारी पर समिति के
सदस्य निदेशक, नगरीय निकाय
निदेशालय द्वारा भुगतान की संस्तुति
करने वाले संबंधित समस्त क्षेत्रीय
अधिकारियों / फर्म के विरुद्ध
कार्यवाही व नियमानुसार रिकवरी
करने का सुझाव दिया गया।

5.4— अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव
महोदय द्वारा संबंधित अधिशासी
अभियन्ता, जल निगम व फर्म के
विरुद्ध कार्यवाही हेतु Show
Cause Notice निर्गत करने के
निर्देश प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0
जल निगम (नगरीय) को दिये
गये।

कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०
जल निगम (नगरीय)।

उत्प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनिधि श्रीमती अरुणिमा वाजपेयी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उचित होगा एक ही समय पर थर्ड पार्टी लैब, इनहाउस लैब व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सैम्पलिंग की जाये जिससे रिपोर्ट्स में किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न न हो।

5.5— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव
महोदय द्वारा निर्देश दिये गये
कि मुख्य अभियन्ताओं द्वारा थर्ड
पार्टी लैब, उठप्र० प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड की लैब हेतु
रोस्टर तैयार कर यह भी



✓

8

तयार

4

		<p>सुनिश्चित किया जाये कि दोनों लैबों द्वारा एक ही दिनांक व एक ही समय पर एस0टी0पी0 के एफ्लूएन्ट की सैम्पलिंग की जाये।</p> <p><u>कार्यवाही:- समस्त संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) / संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।</u></p> <p>प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा सुझाव दिया गया कि समस्त संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं को प्रत्येक माह में प्रत्येक एस0टी0पी0 का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या बिल के साथ प्रस्तुत की जाये एवं निरीक्षण आख्या के अभाव में उक्त एस0टी0पी0 का भुगतान न किया जाये।</p> <p>5.6— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक बिल के साथ संबंधित अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) संबंधित मुख्य अभियन्ता को समस्त एस0टी0पी0 से संबंधित अपनी निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करेंगे। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा निरीक्षण हेतु एक चैक लिस्ट तैयार कर ली जाये जिसके अनुसार अधिशासी अभियन्ता अपनी निरीक्षण आख्या प्रेषित करेंगे। निरीक्षण आख्या के अध्ययन के उपरान्त मुख्य अभियन्ता अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ बिल प्रेषित करें।</p> <p><u>कार्यवाही:- समस्त संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)</u></p>
6	<p>अध्यक्ष/ द्वारा निर्देश दिया गया कि रामपुर एवं मुरादाबाद एस0टी0पी0 एवं संबंधित सीवरेज नेटवर्क का मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा निरीक्षण कर एक सप्ताह के अन्दर विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट सुझाव सहित प्रस्तुत किया जाए। (कार्यवाही— मु0अभिरो, गा0क्षेत्र0)</p>	<p>दिनांक 25.10.2021 को इं0 सर्वेश कुमार मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद द्वारा रामपुर सीवरेज योजना के अन्तर्गत 3 नग एस0टी0पी0 एवं सीवर नेटवर्क के संचालन एवं रखरखाव कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या पर संलग्न हैं।</p> <p>सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0एण्ड एम0 द्वारा रोड धरने के कारणों के संबंध में आख्या लेने का सुझाव दिया गया जिस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।</p> <p><u>कार्यवाही:- मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) / सदस्य सचिव— मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल।</u></p>

7

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित मोर्टी, गाजियाबाद की नवर्निमित एस०टी०पी० को 25 नवम्बर 2021 तक नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तांतरित कर 30 नवम्बर-2021 तक उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद को हस्तांतरित करा दिया जाये। तत्पश्चात उक्त एस०टी०पी० को वन सिटी वन ऑपरेटर के अन्तर्गत पैकेज संख्या-8 में सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाये।

उक्त के अतिरिक्त मोदीनगर एस०टी०पी० का कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर वन सिटी वन ऑपरेटर में सम्मिलित किया जाए।

(कार्यवाही:- नगर निगम, गाजियाबाद व मु०अभि०, गा०क्ष०)

महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम, गाजियाबाद के पत्रांक 289 / जलकल / 2021-22 दिनांक 29.10.2021 द्वारा उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद एवं मेसर्स वी०१० टेक वावाग लि० चैनई के प्रतिनिधियों द्वारा मोर्टी एस०टी०पी० सिविल एवं वि०/यां० घटकों की वर्तमान स्थिति अनुसार निरीक्षण आख्या सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि उल्लिखित कमियों को अतिशीघ्र ठीक कराकर हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र कर ली जाये परन्तु जी०डी०ए० द्वारा मोर्टी एस०टी०पी० की सिविल एवं वि०/यां० कमियों को ठीक नहीं कराया जा सका है। उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद द्वारा यथा आवश्यक कमियों को सुधारने हेतु आवश्यक कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्रांक 320 / न०३० / 2021-22 दिनांक 23. 11.2021 द्वारा मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद से जल निगम की सहमति चाही गयी है। आगणित धनराशि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा प्रदान करने पर नगर निगम, गाजियाबाद को हैण्ड ओवर लेने हेतु सहमति प्रदान की जा सकेगी।

कार्यालय परियोजना प्रबंधक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई (प्रथम), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्रांक 2219 / कार्य-34 / 273 दिनांक 08.12.21 द्वारा अवगत कराया है कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत मोदीनगर क्षेत्र में मोदीनगर

7.1— अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण गाजियाबाद को इस आशय का पत्र प्रेषित करें कि वांछित कार्य अविलम्ब पूर्ण करें जिसकी प्रति मण्डलायुक्त मेरठ को भी दी जाये।

कार्यवाही:- नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद / सदस्य सचिव -मुख्य अभियन्ता, आ०३० ए०४० ए०५० सौल।

समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

	<p>सीवरेज योजना (फेज-1) के अन्तर्गत 20 एम०एल०डी०, एस०पी०एस०, 28 एम०एल०डी०, एम०पी०एस०, 14 एम०एल०डी० आई०पी०एस० एवं 2.00 किमी० राईजिंग मेन का कार्य पूर्ण हो गया है। योजना का ट्रायल एण्ड रन अवधि 06 माह जिसके अनुसार ट्रायल एण्ड रन अवधि माह अप्रैल-2022 में पूर्ण होगी। योजना के ट्रायल एण्ड रन की अवधि की समाप्ति माह अप्रैल-2022 के बाद वन सिटी वन ऑपरेटर को हस्तगत किया जाना उचित होगा।</p>	
8	<p>महाप्रबन्धक, जलकल, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा एक अतिरिक्त जेटिंग मशीन एवं सीवर सफाई हेतु कुछ टीमें बढ़ायी गयी हैं एवं कार्यवाही की जा रही है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मशीने और बढ़ाकर कार्यों को कराने के निर्देश दिए गये।</p> <p>कार्यवाही—संबंधित नगर आयुक्त / संबंधित महाप्रबन्धक, जलकल / संबंधित फर्म)</p>	<p>कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है।</p>
9	<p>मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ स्थानों पर सीवर गृह संयोजन न होने के कारण कम श्राव प्राप्त हो रहा है। इन स्थलों पर कार्य प्रगति पर है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) को निर्देश दिये गये कि अगामी एक माह के अन्दर गाजियाबाद जोन में जिन एस०टी०पी० पर वांछित डिजाइन श्राव प्राप्त नहीं हो रहा है उन पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाए।</p> <p>(कार्यवाही— मु०अभियन्ता, गा०क्षेत्र)</p>	<p>दिनांक 25.10.2021 को इं० सर्वेश कुमार मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ०प्र०० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद द्वारा निरीक्षण के दौरान श्राव बढ़ाने हेतु निर्देश जारी किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है।</p>
10	<p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपरिथित उ०प्र०० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि परीक्षण रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराया जाये जिससे भुगतान में विलम्ब न हो। इसके अतिरिक्त नगरों के</p>	<p>सदस्य सचिव, उ०प्र०० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या H-69241/STP/CL/235/ 20-21 Dt. 10.12.2021 द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया।</p>

	<p>सीवरेज सिस्टम में आ रहे इंडस्ट्रीयल वेस्ट को रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिससे एस0टी०पी० के परफार्मेस पर दुष्प्रभाव न पड़े। इस संबंध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उपरिथित प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस संबंध में अवगत करायें।</p> <p>साथ ही प्रभावी प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को निर्देशित किया कि सदस्य सचिव को इस संबंध में पत्र भी प्रेषित किया जाये।</p> <p>इस संबंध में समस्त नगर आयुक्त को आवश्यक पत्र भी प्रेषित करने के निर्देश दिए गये।</p> <p>(कार्यवाही— य०पी०पी०सी०बी०)</p>	
11	<p>बैठक में महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा 345 एम०एल०डी० भरवारा एस0टी०पी० का उचित अनुश्रवण नहीं करने के कारण सैटिक कन्डीशन उत्पन्न हो रही है जिससे हैंड रेलिंग एवं अन्य उपकरणों की खराब होने की प्रबल संभावना है। यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध में क्वालीटी एवं क्वांटिटी की गणना के आधार पर ही एल०डी० लगाये जाने के प्राविधान होने के कारण फर्म द्वारा अन्य उपकरणों के रखरखाव पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) को निर्देश दिये गये कि 7 दिन के अन्दर महाप्रबन्धक, जल निगम तथा फर्म को एस0टी०पी० के सुचारू अनुश्रवण हेतु दिशा निर्देश जारी करें तदोपरान्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को यह निर्देश दिया गया कि जारी की गयी दिशा निर्देश को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करायें तथा मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० की</p>	<p>शासन के पत्र संख्या 2475 / नौ –९–२०२१–८९ज / २००१टी०सी०, नगर विकास अनुभाग–९ दिनांक ०८.१२.२०२१ द्वारा संबंधित को पत्र प्रेषित किया गया।</p> <p>समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।</p>
		<p>11.1— अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०) द्वारा प्रसारित शिड्यूल का अनुपालन फर्म द्वारा सुनिश्चित कराया जाये एवं अनुपालन न होने के दशा में polluter pays सिद्धांत पर Damages claim किये जाये।</p> <p><u>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / समस्त संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / संबंधित कार्यदायी फर्म।</u></p> <p>मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ के पत्र संख्या-१९०४ / मु०अभि० (ल०क्ष०) कार्य -४५ / २२२ दिनांक २७.११.२०२१ के माध्यम से परियोजना डायरेक्टर, मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, लखनऊ को लखनऊ नगर के सीवरेज सिस्टम के ३००एम० एण्ड एम० कार्य के रूटीन/ प्रिवेन्टिव मैन्टीनेन्शन का शिड्यूल प्रेषित किया गया है।</p>

	<p>एक माह पश्चात (अर्थात् दिनांक 23.10.2021 से 5 सप्ताह) के अन्दर मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) द्वारा जारी की गयी दिशा निर्देश के अनुपालन आख्या की समीक्षा करके दिसम्बर-2021 की प्रस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p> <p>(कार्यवाही— प्र०नि०, जल निगम/ मु०अभि०, ल०क्ष०/ ओ०ए०ए०ए० एम० सेल व संबंधित फर्म)</p>	<p>अन्य क्षेत्रों हेतु दिशा निर्देश जारी करने की कार्यवाही एवं मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा अनुपालन की कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है।</p>	
12	<p>ओ०ए०ए० ए०ए० सेल के संचालन के लिये वार्षिक बजट उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रदेश में स्थित 7 बड़े नगर निगमों (10 लाख आबादी से अधिक) एवं 10 छोटे नगर निगमों से (10 लाख आबादी से कम) प्रतिवर्ष क्रमशः रु 2.00 लाख एवं रु 1.00 लाख कुल रु 24.00 प्रतिवर्ष की व्यवस्था करने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० को निर्देश दिये गये।</p>	<p>कार्यालय के पत्र संख्या 267 / 02 / OM&M/21-22 दिनांक 18.11.2021 द्वारा शासन से रु 24.00 लाख प्रतिवर्ष ओ०ए०ए० ए०ए० ए०ए० सेल के संचालन हेतु अनुरोध किया गया है जिस पर शासन द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।</p>	<p>12.1— अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ०प्र० शासन/ संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को निर्देश दिये गये कि उक्त पर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये।</p> <p><u>कार्यवाही:- विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ०प्र० शासन/ संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।</u></p>

एजेन्डा (ii) महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-835 / वर्क-10 / 147 दिनांक 17.08.2021 पत्र संख्या-1041 / वर्क-10 / 170 दिनांक 22.10.2021 पत्र संख्या 1161 / कार्य-10 / 198 दिनांक 07.12.2021 एवं मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गोरखपुर के पत्र संख्या 1930 / कार्य-45 / 243 दिनांक 09.12.20021 द्वारा गोरखपुर जोन के अन्तर्गत गोरखपुर नगर में स्थित 15 व 30 एम०ए०ल०डी०, एस०टी०पी० के माह जुलाई-2021, अगस्त-2021, सितम्बर-2021, अक्टूबर-2021 व नवम्बर-2021 हेतु फर्म – मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० द्वारा गोरखपुर जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिलों पर निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम को धनराशि अवमुक्त किये जाने एवं महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर पत्र संख्या-614 / वि-28 / 62 दिनांक 04.09.2021, पत्र संख्या-607 / वि-28 / 58 दिनांक 28.08.2021, पत्र संख्या-689 / वि-28 / 77 दिनांक 22.10.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, गोरखपुर के पत्र संख्या 760 / वि-28 / 79 दिनांक 04.12.2021 द्वारा गोरखपुर जोन के अन्तर्गत अयोध्या नगर में स्थित 12 एम०ए०ल०डी० एस०टी०पी० के माह जुलाई-2021, अगस्त-2021, सितम्बर-2021, अक्टूबर-2021 व नवम्बर-2021 के भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है। फर्म-मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० द्वारा गोरखपुर जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिलों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	अनुबन्ध के अनुसार पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	गोरखपुर	अयोध्या
2	21 th Payment Certificate / Bill- July, 2021	रु 95,23,558.00 (फर्म को भुगतान रु 8301419.00 + जीएसटी रु 996171.00 + डीजल रु 225968.00)	रु 24,94,945.14 (फर्म को भुगतान रु 2183229.59 + जीएसटी रु 261987.55 + डीजल रु 49728.00)

3	22 th Payment Certificate / Bill- August, 2021	₹0 95,99,360.00 (फर्म को भुगतान ₹0 8381394.00 + जीएसटी ₹0 1005768.00 + डीजल ₹0 212198.00)	₹0 25,21,364.89 (फर्म को भुगतान ₹0 2194873.47 + जीएसटी ₹0 263384.82 + डीजल ₹0 63107.00)
4	23 th Payment Certificate / Bill- September, 2021	₹0 96,93,113.00 (फर्म को भुगतान ₹0 8414670.00 + जीएसटी ₹0 1009761.00 + डीजल ₹0 268682.00)	₹0 25,21,364.89 (फर्म को भुगतान ₹0 2256004.00 + जीएसटी ₹0 2,70,720.00 + डीजल ₹0 93773.00)
5	24 th Payment Certificate / Bill- October, 2021	₹0 96,39,826.00 (फर्म को भुगतान ₹0 8357142.00 + जीएसटी ₹0 1002857.00 + डीजल ₹0 279827.00)	₹0 28,67,650.00 (फर्म को भुगतान ₹0 25,26,724.00 + जीएसटी ₹0 2,70,720.00 + डीजल ₹0 70206.00)
6	25 th Payment Certificate / Bill- November, 2021	₹0 92,03,075.00 (फर्म को भुगतान ₹0 8019308.00 + जीएसटी ₹0 962317.00 + डीजल ₹0 221450.00)	₹0 28,67,650.00 (फर्म को भुगतान ₹0 25,26,724.00 + जीएसटी ₹0 2,70,720.00 + डीजल ₹0 49707.50)

(ii-1) मेसर्स तोशिबा वाटर सॉल्यूशन प्राइलि के पत्र संख्या TWS/CV/SMCG/21-22/O&M/111 Dt. 30.10.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर नगर के 30 एवं 15 एम०एल०डी० के RA BILLS में टंकण त्रुटि के कारण फर्म को कम भुगतान प्राप्त हुआ है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	एस०टी०पी० जिस पर टंकण त्रुटि हुयी	त्रुटि का विवरण
1	30 एम०एल०डी० गोरखपुर एस०टी०पी०-जून 2021 के बिल में।	माह जून-2021 में 30 एम०एल०डी० के एस०टी०पी० के श्राव में त्रुटिवश 15 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० के श्राव का टंकण हो गया है।
2	15 एम०एल०डी० गोरखपुर एस०टी०पी०-दिसम्बर 2020 के बिल में।	दिनांक 03.12.2020 को प्राप्त 16 एम०एल०डी० के श्राव के स्थान पर गणना 6 एम०एल०डी० के अनुसार करने से भुगतान कम प्राप्त हुआ है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ०ए० एण्ड ए०० सेल द्वारा परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर द्वारा गोरखपुर नगर में स्थित 30 व 15 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० के माह जुलाई-2021, अगस्त-2021, सितम्बर-2021 व अक्टूबर-2021 एवं गोरखपुर जोन के अन्तर्गत अयोध्या नगर में स्थित 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी के जुलाई-2021, अगस्त-2021, सितम्बर-2021 व अक्टूबर-2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रेषित किये गये हैं प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०ए०एण्डए०० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया।

अनुबन्ध के Section-II के प्रस्तर-34 के अनुसार मेसर्स तोशिबा वाटर सल्यूशन प्राइलि को मोबलाइजेशन एडवांस (अनुबन्ध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) ₹0 1,33,21,168.00 (रु० एक करोड़

तीस लाख इकाई हजार एक सौ अड्सठ मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 10 किश्तों के सापेक्ष प्रथम किश्त की देयता जनवरी-2021 से थी। 9वीं किश्त तक की कटौती विगत बैठक में की जा चुकी है। इसकी अंतिम (10th) किश्त की कटौती जल निगम द्वारा अक्टूबर-2021 के बिल से की जानी थी परन्तु जल निगम द्वारा कटौती न किये जाने के कारण अक्टूबर-2021 के बिल से ₹ 13,32,116.80 (₹ 0 तरह लाख बतीस हजार एक सौ सोलह व पैसे अस्सी मात्र) के बिल में ओएमएण्डएम सेल द्वारा की गयी है। वर्तमान में 10वीं किश्त (माह अक्टूबर) की कटौती ₹ 13,32,116.80 के उपरान्त मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती समाप्त हो गयी है।

गोरखपुर जोन में स्थित कुल 3 नग एस0टी0पी0 का ट्रीटेड सीवेज जुलाई-2021 (अवशेष), अगस्त-2021 (अवशेष), सितम्बर-2021 (अवशेष) एवं अक्टूबर-2021 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 12 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, अयोध्या-सी0ओ0डी0-1 बार
- 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, गोरखपुर- FC-1 बार

गोरखपुर जोन के 3 नग एस0टी0पी0 के क्वालिटी एवं क्वांटिटी एवं मोबिलाइजेशन एडवांस के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् हैः-

माह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाइजेश न एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाइजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 सहित
1	2	3	4	5 = (3+4)
गोरखपुर जोन				
जुलाई-2021 (अवशेष)	12018503.14	कटौती विगत बैठक में की जा चुकी है।	0.00	0.00
अगस्त-2021 (अवशेष)	12120724.89		10000.00	10000.00
सितम्बर-2021 (अवशेष)	12214477.89		10000.00	10000.00
अक्टूबर-2021	12507476.00	1332116.80	0.00	1332116.80
नवम्बर-2021 (Adhoc Payment)	12070725.00	0.00	0.00	0.00
योग	60931906.92	1332116.80	20000.00	1352116.80

सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 के अनुसार फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष ₹ 7.00 करोड़ की धनराशि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन (संचयी आधार पर) के उपरान्त जमा की जानी अपेक्षित है। मेसर्स तोशीबा वाटर सल्यूशन प्रा0लि0 को भुगतान की गयी धनराशि (प्रारंभ से अर्थात् माह जनवरी-2020 से अक्टूबर-2021 तक प्रेषित बिलों के सापेक्ष) एस्क्रो एकाउन्ट में ₹ 13,00,26,880.17 (₹ 0 तरह करोड़ छब्बीस हजार आठ सौ अस्सी व पैसे सतरह मात्र) जमा किया जाना था जिसके सापेक्ष फर्म ने ₹ 7,74,04,717.00 (₹ 0 सात करोड़ चौहत्तर लाख चार हजार सात सौ सतरह मात्र) जमा किये हैं एवं वर्तमान में ₹ 5,82,53,211.17 (₹ 0 पाँच करोड़ बयासी लाख तिरपन हजार दो सौ ग्यारह व पैसे सतरह मात्र) फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् हैः-

सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23.10.2021 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा mobilization advance की कटौती 10 किश्तों (अंतिम किश्त माह अक्टूबर 2021) की जा रही है। दिनांक 23.10.2021 की सम्पन्न बैठक से पूर्व की बैठकों में किये गये भुगतान में जी0एस0टी0 एवं 5 प्रतिशत Escalation की संशोधित गणना की गयी है। माह दिसम्बर-2020 व जून-2021 में टंकण त्रुटिवश हुयी है जिससे फर्म को भुगतान तत्समय कम हुआ था जिसका निराकरण करते हुये तदनुसार कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों, पूर्व की बैठकों में किये गये भुगतान में जी0एस0टी0 एवं 5 प्रतिशत Esclation की संशोधित गणना तथा माह दिसम्बर-2020 व जून-2021 के बिलों के गणना के उपरान्त ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा उ0प्र0 जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:-

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	19 th Payment Certificate/ Bill- Dec-2020 (Rs.) (टंकण त्रुटि के कारण अवशेष भुगतान)	20 th Payment Certificate/ Bill- June 2021 (Rs.) (टंकण त्रुटि के कारण अवशेष भुगतान)	21 th Payment Certificate/ Bill- July 2021 (Rs.) (Balance Payment)	22 th Payment Certificate/ Bill- August 2021 (Rs.) (Balance Payment)
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	36306.30	2422466.00	2515703.47	2671011.31
2	जी.एस.टी.(12 प्रतिशत)	4356.76	290695.92	301884.42	320521.36
3	फ्यूल चार्जस (As per actual Certificate by UPJN)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टर्ज/ सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	3630.63	242246.60	251570.34	267101.13
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00
6	योग (1+2+3+4-5)	44293.69	2955408.52	3069158.23	3258633.80

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	23 th Payment Certificate/ Bill- September 2021 (Rs.) (Balance Payment)	24 th Payment Certificate/ Bill- October 2021 (Rs.)	25 th Payment Certificate/ Bill- November 2021 (Rs.) (Ad Hoch Payment)	GST Adjustment from Jan-21 to May-21
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	2674603.60	10544696.97	7706484.00	277524.35
2	जी.एस.टी.(12 प्रतिशत)	320952.43	1265363.64	924778.08	699361.34
3	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	350033.00	271157.00	0.00
4	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टर्ज/ सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	267460.36	1054469.70	770648.00	582801.10
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	1332116.80	0.00	0.00
6	योग (1+2+3+4-5)	3263016.39	11882446.51	9673067.48	1559686.79
7	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि (रु0)			3,57,05,711.39 2,81,37,869.19 + 34,39,928.27 (Centage) + 41,27,913.93 (GST)	
8	मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-21 तक लम्बित कुल धनराशि (रु0)			5,82,53,211.17	
9	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण (रु0)			2,81,37,869.19	
10	अवशेष धनराशि जिस हेतु प्र०नि० द्वारा नोटिस जारी करके फर्म से जमा कराया जाना है (रु0)			3,01,15,341.98 (5,82,53,211.17 - 2,81,37,869.19)	

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 3,57,05,711.39 (रु0 तीन करोड़ सतावन लाख पाँच हजार सात सौ रुपयारह व पैसे उनतालीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह

अक्टूबर-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 5,82,53,211.17 में से रु0 2,81,37,869.19 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 3,01,15,341.98 (रु0 5,82,53,211.17 - 2,81,37,869.19 = रु0 3,01,15,341.98) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णयः- मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-5, गोरखपुर जोन हेतु कुल धनराशि रु0 3,57,05,711.39 (रु0 तीन करोड़ सतावन लाख पाँच हजार सात सौ रुपयारह व पैसे उनतालीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयकों से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 5,82,53,211.17 में से रु0 2,81,37,869.19 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 3,01,15,341.98 (रु0 5,82,53,211.17 - 2,81,37,869.19 = रु0 3,01,15,341.98) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी। समिति ने कार्यदायी संस्था को सबधित फर्म द्वारा एस0टी0पी0 को निर्धारित मानक व गुणवत्ता से संचालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, मुख्य अभियन्ता-सदस्य सचिव/उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम-नगरीय)

एजेन्डा (iii) मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्र संख्या-3785/47/243 दिनांक 01.12.2021 पत्र संख्या-3784/47/242 दिनांक 01.12.2021 एवं पत्र संख्या 3841/47/253 दिनांक 08.12.2021 द्वारा क्रमशः माह सितम्बर-2021, अक्टूबर-2021 एवम् नवम्बर-2021 हेतु फर्म - M/s VA Tech Wabag Limited द्वारा आगरा जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)
1	22 nd Payment Certificate / Bill -September, 2021	रु0 2,13,39,802.82 (फर्म को भुगतान रु0 2,10,03,140.91 + जी0एस0टी0 रु0 2520376.91 + 10 % सेन्टेज रु0 2100314) - Mobilization Advance Rs. 4284029.00
2	23 rd Payment Certificate / Bill -October, 2021	रु0 2,82,32,541.54 (फर्म को भुगतान रु0 2,31,41,427.48 + जी0एस0टी0 रु0 2776971.30 + 10 % सेन्टेज रु0 2314142.76)
3	24 th Payment Certificate / Bill -November, 2021	रु0 2,95,05,188.29 (फर्म को भुगतान रु0 2,41,84,580.56 + जी0एस0टी0 रु0 2902149.67 + 10 % सेन्टेज रु0 2418458.06)

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं परियोजना प्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा सितम्बर-2021 एवम् अक्टूबर-2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रमाणित कर प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्प्ल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबंध की क्लाज-39 सेक्शन -IV के अनुसार एस0टी0पी0 वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया।

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-34 के अनुसार मेसर्स VA Tech Wabag को मोबिलाइजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) रु० 4,28,40,290.00 (रु० चार करोड़ अठाइस लाख चालीस हजार दो सौ नब्बे मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 10 किश्तों के सापेक्ष 10th किश्त की देयता सितम्बर-2021 से की जा रही है। इसकी कटौती जल निगम द्वारा सितम्बर-2021 के बिल से रु० 42,84,029.00 (रु० बयालीस लाख चौरासी हजार उनतीस मात्र) ओ०एम०एण्डएम० सेल द्वारा की गयी है। क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती रु० 2,80,000.00 ओ०एम०एण्डएम० सेल द्वारा की गयी है। वर्तमान में 10वीं किश्त (माह सितम्बर-2021) की कटौती रु० 42,84,029.00 के उपरान्त मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती समाप्त हो गयी है।

आगरा जोन में स्थित कुल 7 नग एस०टी०पी० का ट्रीटेड सीवेज सितम्बर-2021 एवम् अक्टूबर-2021 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 10 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, पिलाखार – बी०ओ०डी०-6 बार, टी०एस०एस०-6 बार
- 2.25 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बुढ़ी का नगला– बी०ओ०डी०-3 बार, टी०एस०एस०-6 बार
- 14 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जगनपुर– टी०एस०एस०-6 बार,
- 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० देवीरोड– टी०एस०एस०-1 बार,

आगरा जोन के 7 नग एस०टी०पी० में क्वालिटी एवं क्वांटिटी एवं मोबिलाइजेशन एडवांस के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् हैः-

माह	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाइजेशन एडवांस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाइजेशन एडवांस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० सहित)
1	2	3	4	5 = (3+4)
आगरा जोन				
सितम्बर-2021	21339802.82	4284029.00	130000.00	4414029.00
अक्टूबर-2021	28232541.54	0.00	150000.00	150000.00
नवम्बर-2021(Ad Hoc Payment)	29505188.29	0.00	0.00	0.00
योग	7,90,77,532.65	4284029.00	280000.00	4564029.00

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु० 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा सितम्बर-2021 व अक्टूबर-2021 तक की वांछित धनराशि रु० 13,14,11,290.32 (रु० तेरह करोड़ चौदह लाख च्यारह हजार दो सौ नब्बे व पैसे बत्तीस मात्र) जिसके सापेक्ष फर्म ने मात्र रु० 12,21,61,290.32 (रु० बारह करोड़ इक्कीस लाख इक्सठ हजार दो सौ नब्बे व पैसे बत्तीस मात्र) जमा किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष रु० 1,83,75,000.00 (रु० एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् हैः-

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23.10.2021 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा mobilization advance की कटौती 10 किश्तों (अंतिम किश्त माह सितम्बर-2021) के सापेक्ष अंतिम किश्त की

कटौती की जा रही है। दिनांक 23.10.2021 की सम्पन्न बैठक से पूर्व की बैठकों में किये गये भुगतान में जी0एस0टी0 एवं 5 प्रतिशत Esclation की संशोधित गणना की गयी है।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों, पूर्व की बैठकों में किये गये भुगतान में जी0एस0टी0 एवं 5 प्रतिशत Esclation की संशोधित गणना के उपरान्त ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा उ0प्र0 जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:-

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	22 nd Payment Certificate/ Bill- September, 2021 (Rs.)	23 rd Payment Certificate/ Bill- October, 2021 (Rs.)	24 th Payment Certificate/ Bill- November, 2021 (Rs.) (Ad HochPayment)	GST Adjustment from Dec-20 to Jan-21
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	21844925.51	24022235.45	17274700.40	1873798.57
2-	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	2621391.06	2882668.01	2072964.05	3223676.15
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual certified by UPJN)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज /सुपरवीजन चार्जस (10 %)	2184492.55	2402223.35	1727470.04	2686396.80
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	4284029.00	0.00	0.00	0.00
6	योग (1+2+3+4-5)	22366780.12	29307124.81	21075134.48	7783871.73
7	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि			8,05,32,911.14 6,07,31,629.14 + 90,00,582.73 (Centage) + 1,08,00,699.28 (GST)	
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			1,83,75,000.00	

सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 8,05,32,911.14 (रु0 आठ करोड़ पाँच लाख बत्तीस हजार नौ सौ ग्यारह व पैसे चौदह मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयकों से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह सितम्बर-2021, अक्टूबर-2021 एवं नवम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,83,75,000.00 (रु0 एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-6, आगरा जोन हेतु कुल धनराशि रु0 8,05,32,911.14 (रु0 आठ करोड़ पाँच लाख बत्तीस हजार नौ सौ ग्यारह व पैसे चौदह मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयकों से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह सितम्बर-2021, अक्टूबर-2021 एवं नवम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,83,75,000.00 (रु0 एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा दी गयी। समिति ने कार्यदायी संस्था को संबंधित फर्म द्वारा एस0टी0पी0 को निर्धारित मानक व गुणवत्ता से संचालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, मुख्य अभियन्ता-सदस्य सचिव / उ0प्र0 शासन / उ0प्र0 जल निगम-नगरीय)

एजेन्डा (iv) मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-3631/एस0टी0पी0 रखरखाव दिनांक दिनांक 09.12.2021 द्वारा माह अक्टूबर-2021 हेतु फर्म - M/s VA Tech Wabag Limited द्वारा गाजियाबाद जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)
1	23 rd Payment Certificate / Bill -October, 2021	रु0 7,16,60,401.98 (फर्म को भुगतान रु0 6,50,21,097.95 + जी0एस0टी0 रु0 78,02,531.75 + डीजल रु0 10,78,678.65 + 10% सेन्टेज रु0 65,02,109.80) - Mobilization Advance Rs. 87,44,016.17

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्को एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु0 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा 13 नवम्बर, 2019 से अक्टूबर-2021 तक वांछित धनराशि रु. 13,44,11,290.32 (रु0 तेरह करोड़ चौवालीस लाख रुयारह हजार दो सौ नब्बे व पैसे बत्तीस मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र 12,82,86,290.32 (रु0 बारह करोड़ बियासी लाख छियासी हजार दो सौ नब्बे व पैसे बत्तीस मात्र) जमा जा चुकी है एवं वर्तमान में प्रस्तुत बिल के सापेक्ष रु0 61,25,000.00 (रु0 इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) फर्म को एस्को एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 23.10.2021 को सम्पन्न बैठक में ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा mobilization advance की कटौती 10 किश्तों (अंतिम किश्त माह सितम्बर-2021 के बिल से) की कटौती की जा चुकी है।

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् है:-

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23.10.2021 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल mobilization advance की कटौती 10 किश्तों (अंतिम किश्त माह सितम्बर-2021) की जा चुकी है। बैठक में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर-2021 का बिल ओ0एम0एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत कर दिया गया है जिस पर Ad hoch payment करने का अनुरोध फर्म द्वारा किया गया है। फर्म के अनुरोध पर मात्र 0 अध्यक्ष महोदय द्वारा लोनी व सहारनपुर की एस0टी0पी0 को घटाने के उपरान्त Ad hoch payment करने की अनुमति प्रदान की गयी। जिसके क्रम में जी0एस0टी0 की संशोधित गणना एवं 5 प्रतिशत Escalation की संशोधित गणना का विवरण ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा निम्नानुसार तैयार किया गया है:-

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	23 th Payment Certificate/ Bill- October, 2021 (Rs.) (Ad Hoch Payment)	GST Adjustment from Dec-20 to May-21
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	42507760.04	2623204.86
2	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	5100931.21	6610476.23
3	फ्यूल चार्जस (As per actual certified by UPJN)	1078678.65	0.00
4	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10 %)	4250776.00	5508730.18
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	0.00
6	योग (1+2+3+4-5)	5,29,38,145.90	1,47,42,411.27

7	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	6,76,80,557.17 4,62,09,643.55 + 97,59,506.18 (Centage) + 1,17,11,407.44 (GST)
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्को एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	61,25,000.00

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 6,76,80,557.17 (रु0 छ: करोड़ छिहत्तर लाख अस्सी पाँच सौ सत्तावन व पैसे सत्तरह मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 61,25,000.00 (रु0 इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्को एकाउंट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-8, गाजियाबाद जोन हेतु कुल धनराशि रु0 6,76,80,557.17 (रु0 छ: करोड़ छिहत्तर लाख अस्सी पाँच सौ सत्तावन व पैसे सत्तरह मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 61,25,000.00 (रु0 इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्को एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी। समिति ने कार्यदायी संस्था को संबंधित फर्म द्वारा एस0टी0पी0 को निर्धारित मानक व गुणवत्ता से संचालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, मुख्य अभियन्ता-सदस्य सचिव/उ0प्र0 जल निगम-नगरीय)

एजेन्डा (v) मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-1928/मु0अभि0(ल0क्षे0) कार्य-45/242 दिनांक 08.12.2021, द्वारा लखनऊ जोन, पैकेज-4 के लिए अक्टूबर-2021 हेतु फर्म - M/s SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा लखनऊ जोन में प्रदान की गयी सेवाएं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)
1	24 th Payment Certificate/ Bill-October- 2021	रु0 6,86,10,218.76 (फर्म को भुगतान रु0 5,48,19,717.64 + जीएसटी रु0 65,78,366.12 + डीजल रु0 430745.00) + 10 % सेन्टेज रु0 6781390.00

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्को एकाउंट में प्रतिवर्ष रु0 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा 01 नवम्बर, 2019 से अक्टूबर-2021 तक वांछित धनराशि रु. 14,35,00,000.00 (रु0 चौदह करोड़ पैंतीस लाख मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र 13,73,75,000.00 (रु0 तेरह करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) जमा जा चुकी है एवं

21

वर्तमान में प्रस्तुत बिल के सापेक्ष रु0 61,25,000.00 (रु0 इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) फर्म को एस्क्रो एकाउंट में जमा किया जाना अवशेष है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 23.10.2021 को सम्पन्न बैठक में ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा mobilization advance की 100 प्रतिशत की कटौती अर्थात् समस्त 10 किश्तों (अंतिम किश्त माह नवम्बर-2021 की कटौती माह जुलाई-2021 के बिल से) की कटौती की जा चुकी है।

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् है:-

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार है:

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	24 th Payment Certificate/ Bill Amount October-2021 (Rs.) (Adhoc Payment)	GST Adjustment from Nov-20 to June-21
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	41114788.23	2232796.10
2	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	4933774.59	6401662.22
3	पृथक् चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	430745.00	0.00
4	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	4111478.82	5334718.51
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	0.00
6	योग (1+2+3+4-5)	5,05,90,786.64	1,39,69,176.83
7	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	6,45,59,963.48 4,37,78,329.33 + 94,46,197.34 (Centage) + 1,13,35,436.81 (GST)	
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण		61,25,000.00

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 6,45,59,963.48 (रु0 छ: करोड़ पैंतालीस लाख उनसठ हजार नौ सौ तिरसठ व पैसे अद्तालीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 61,25,000.00 (रु0 इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-4, लखनऊ जोन हेतु कुल धनराशि रु0 6,45,59,963.48 (रु0 छ: करोड़ पैंतालीस लाख उनसठ हजार नौ सौ तिरसठ व पैसे अद्तालीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-2021 तक लम्बित

22

कुल धनराशि रु० 61,25,000.00 (रु० इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्को एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी। समिति ने कार्यदायी संस्था को संबंधित फर्म द्वारा एस०टी०पी० को निर्धारित मानक व गुणवत्ता से संचालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये।
 (कार्यवाही- ओ०ए०ए०ए० एम० सेल, मुख्य अभियन्ता-सदस्य सचिव/उ०प्र० शासन/उ०प्र० जल निगम-नगरीय)

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल की संकलित संस्तुति:- उपरोक्तानुसार एजेंडा (ii, iii, iv एवं v) हेतु लिये गये संस्तुति में अंकित कुल धनराशि रु० 24,84,79,143.18 (रु० चौबीस करोड़ चौरासी लाख उनासी हजार एक सौ तिरालीस व पैसे अद्भारह मात्र) में से गोरखपुर जोन के लिए रु० 3,57,05,711.39 (रु० तीन करोड़ सतावन लाख पाँच हजार सात सौ ग्यारह व पैसे उनतालीस मात्र), आगरा जोन के लिए रु० 8,05,32,911.14 (रु० आठ करोड़ पाँच लाख बत्तीस हजार नौ सौ ग्यारह व पैसे चौदह मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु० 6,76,80,557.17 (रु० छः करोड़ छिहत्तर लाख अस्सी हजार पाँ सौ सतावन व पैसे सत्रह मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए रु० 6,45,59,963.48 (रु० छः करोड़ पैतालीस लाख उनसठ हजार नौ सौ तिरसठ व पैसे अद्तालीस मात्र), की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को आवंटित करने जिसमें से प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष गोरखपुर जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह नवम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 5,82,53,211.17 में से रु० 2,81,37,869.19 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु० 3,01,15,341.98 (रु० 5,82,53,211.17 - 2,81,37,869.19 = रु० 3,01,15,341.98) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, आगरा जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह नवम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 1,83,75,000.00 (रु० एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 61,25,000.00 (रु० इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 61,25,000.00 (रु० इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की शत-प्रतिशत की कटौती प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा करने एवं काटी गयी धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ को उक्त धनराशि रु० 24,84,79,143.18 (रु० चौबीस करोड़ चौरासी लाख उनासी हजार एक सौ तिरालीस व पैसे अद्भारह मात्र) आवंटित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णय:

उपरोक्तानुसार सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में गोरखपुर जोन के लिए रु० 3,57,05,711.39 (रु० तीन करोड़ सतावन लाख पाँच हजार सात सौ ग्यारह व पैसे उनतालीस मात्र), आगरा जोन के लिए रु० 8,05,32,911.14 (रु० आठ करोड़ पाँच लाख बत्तीस हजार नौ सौ ग्यारह व पैसे चौदह मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु० 6,76,80,557.17 (रु० छः करोड़ छिहत्तर लाख अस्सी हजार पाँ सौ सतावन व पैसे सत्रह मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए रु० 6,45,59,963.48 (रु० छः करोड़ पैतालीस लाख उनसठ हजार नौ सौ तिरसठ व पैसे अद्तालीस मात्र), की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को आवंटित करने जिसमें से प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष गोरखपुर जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह नवम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 5,82,53,211.17 में से रु० 2,81,37,869.19 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु० 3,01,15,341.98 (रु० 5,82,53,211.17 - 2,81,37,869.19 = रु० 3,01,15,341.98) हेतु

23

नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, आगरा जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह सितम्बर-2021, अक्टूबर-2021 एवं नवम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि ₹0 1,83,75,000.00 (रु0 एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-2021 तक लम्बित कुल ₹0 61,25,000.00 (रु0 इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं लखनऊ के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अक्टूबर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि ₹0 61,25,000.00 (रु0 इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) है की शत-प्रतिशत की शत-प्रतिशत की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को उक्त धनराशि ₹0 24,84,79,143.18 (रु0 चौबीस करोड़ चौरासी लाख उनासी हजार एक सौ तिरालीस व पैसे अर्द्धारह मात्र) आवंटित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी और प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही— उ0प्र0 शासन, उ0प्र0 जल निगम व मुख्य अभियन्ता—सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0)

विद्युत बिल—

एजेन्डा (vi) अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल (वि/या), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्र-439/वि0संयो—आगरा/14 दिनांक 10.11.2021 एवं पत्र संख्या 466/वि0संयो—आगरा/17 दिनांक 06.12.2021 द्वारा 05 नग एस0टी०पी० व 28 नग एस0पी०एस० के हेतु माह अक्टूबर-2021 व नवम्बर-2021 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः ₹0 58,61,484.00 (रु0 अट्ठावन लाख, इक्सठ हजार चार सौ चौरासी) एवं ₹0 61,60,642.00 (रु0 इक्सठ लाख साठ हजार छ: सौ बियालीस एवं पैसा पाँच मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल (वि/या), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्र संख्या 437/विद्युत संयोजन/13 दिनांक 08.11.2021, 422/भुगतान/09 दिनांक 26.10.2021, पत्र संख्या-436/विद्युत संयोजन—आगरा/12 दिनांक 08.11.2021 एवं पत्र संख्या 467/वि0संयो—आगरा / 18 दिनांक 06.12.2021 द्वारा 02 नग एस0टी०पी० के दिनांक 02.10.2021 से 03.11.2021, 02.09.2021 से 01.10.2021, दिनांक 03.11.2021 से 01.11.2021 एवं अक्टूबर-2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः ₹0 1,90,286.00 (रु0 एक लाख नब्बे हजार दो सौ छियासी मात्र) ₹0 24932.00 (रु0 चौबीस हजार नौ सौ बत्तीस मात्र), ₹0 31675.00 (रु0 इकतीस हजार छ: सौ पिछत्तर मात्र) एवं ₹0 192998.02 (रु0 एक लाख बानवे हजार नौ सौ अट्ठानवे मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेन्डा (vii) (1) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि०/याँ०) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद के पत्र संख्या-3723/कार्य-33/236 दिनांक 02.11.2021 एवं 4100/कार्य-33/285 दिनांक 08.12.2021 द्वारा 56 व 74 एम0एल0डी० एस0टी०पी० एवं 48 एम0पी०एस० इन्विरापुरम, गाजियाबाद के दिनांक 01.10.2021 से 01.11.2021 एवं दिनांक 01.11.2021 से 01.12.2021 तक के 2 नग एस0टी०पी० व 1 नग एम0पी०एस० का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः ₹0 4310115.00 (रु0 तीनतालीस लाख दस हजार एक सौ पंद्रह मात्र) एवं 4309034.00 (रु0 तीनतालीस लाख नौ हजार चौंतीस मात्र) अर्थात् कुल ₹0 86,19,149.00 (रु0 छियासी लाख उन्नीस हजार एक सौ उनचास मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(2) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि०/याँ०) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3650/कार्य-33/233 दिनांक 27.10.2021 एवं पत्र संख्या- 3961/कार्य-33/265 दिनांक 29.11.2021 द्वारा सीवेज पम्प जी०डी०ए० मार्केट, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प नगर निगम, सेक्टर-1, निकट मैक्स अस्पताल वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प सप्तम खण्ड, सेक्टर-19 वसुन्धरा, गाजियाबाद व सीवेज पम्प निकट कनावनी पुलिसा सेक्टर-5 वसुन्धरा, गाजियाबाद के अक्टूबर-2021 व

24

नवम्बर-2021 द्वारा क्रमशः रु0 1249181.00 एवं रु0 1195772.00 अर्थात् कुल रु0 444953.00 (रु0 चार लाख चौबालीस हजार नौ सौ तिरपन मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(3) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/याँ) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-3942/कार्य-33/259 दिनांक 14.08.2021 द्वारा वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित माह अगस्त-2021 का प्रमाणित विद्युत देयक रु0 370465.00 (तीन लाख सत्तर हजार चार सौ पैंसठ मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(4) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/याँ) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3742/कार्य-33/241 दिनांक 09.11.2021 एवं पत्र संख्या 4099/कार्य-33/284 दिनांक 08.12.2021 द्वारा लोनी सीवरेज योजना में 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0/68 एम0एल0डी0 एम0पी0एस0 लोनी, गाजियाबाद के माह नवम्बर-2021 व दिसम्बर-2021 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 10,08,981.00 (रु0 दस लाख आठ हजार नौ सौ इक्यासी मात्र) एवं रु0 9,64,259.00 (रु0 नौ लाख चौसठ हजार दो सौ उनसठ मात्र) अर्थात् कुल रु0 19,73,240.00 (उन्नीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ चालीस मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(5) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/याँ) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3556/कार्य-33/223 दिनांक 22.10.2021 एवं पत्र संख्या-3892/कार्य-33/258 दिनांक 23.11.2021 द्वारा सीवेज पम्प सी-ब्लॉक पार्क शालीमार, गार्डन (56 एम0एल0डी0) इन्दिरापुरम/जनकपुरी एस0पी0एस0, गाजियाबाद/सीवेज पम्प सूर्यनगर (56 एम0एल0डी0) इन्दिरापुरम/ब्रज विहार एस0पी0एस0 गाजियाबाद के अकटूबर-2021 व नवम्बर-21 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः-रु0 407142.00 एवं रु0 383145.00 अर्थात् कुल रु0 790287.00 (रु0 सात लाख नब्बे हजार दो सौ सतासी मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(6) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3549/कार्य-33/222 दिनांक 24.10.2021 एवं पत्र संख्या-3837/कार्य-33/252 दिनांक 17.11.2021 द्वारा 03 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 व 2 एम0एल0डी0, आई0पी0एस0, पिलखुआ के दिनांक 01.08.2021 से 05.09.2021 व दिनांक 05.09.2021 से 09.10.2021 तथा दिनांक 31.08.2021 से 29.09.2021 व 29.09.2021 से 27.10.2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 323942.00 एवं रु0 126789.00 अर्थात् कुल 450731.00 (रु0 पैंतालीस हजार सात सौ इकतीस मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(7) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3942/कार्य-33/253 दिनांक 26.11.2021 एवं पत्र संख्या-3837/कार्य-33/252 दिनांक 17.11.2021 द्वारा 03 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 व 2 एम0एल0डी0, आई0पी0एस0, पिलखुआ के दिनांक 01.08.2021 से 05.09.2021 व दिनांक 05.09.2021 से 09.10.2021 तथा दिनांक 31.08.2021 से 29.09.2021 व 29.09.2021 से 27.10.2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 323942.00 एवं रु0 126789.00 अर्थात् कुल 450731.00 (रु0 पैंतालीस हजार सात सौ इकतीस मात्र) ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(8) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/या), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-3741/कार्य-33/240 दिनांक 09.11.2021 एवं पत्र संख्या-4044/कार्य-33/271 दिनांक 04.12.

2021 द्वारा 72 एम०एल०डी०, कमालपुर, मेरठ के दिनांक 01.10.2021 से 01.11.2021 तक एवं 01.11.2021 से 01.12.2021 तक के प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु 2764802.00 व 2618877.00 अर्थात् कुल रु 53,83,679.00 (रु० तिरपन लाख तिरासी हजार छः सौ उनासी मात्र) ओ०एम० एण्ड एम० सेल में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार पैरा (vi) एवं (vii) के शहर-वार/टाउन-वार विद्युत बिल का विवरण निम्नानुसार है:-

ऐजेण्डा क्र०सं०	शहर/ टाउन का नाम	एस०टी०पी०/ पम्पिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की घनराशि रु०
(vi)	आगरा	5 नग एस०टी०पी० व 28 नग एस०पी०एस०	अक्टूबर-2021	58,61,484.00
			नवम्बर-2021	61,60,642.00
		12 एम०एल०डी० एस०टी०पी०	02.09.2021 से 01.10.2021	24932.00
			अक्टूबर-2021	97,512.00
		40 एम०एल०डी० एस०टी०पी० (बिचपुरी), आगरा	02.10.2021 से 03.11.2021	190285.54
			03.11.2021 से 01.12.2021	192998.00
			योग	1,25,27,853.54
		अहिंसा खण्ड इन्दिरापुरम, गाजियाबाद (56 MLD STP)	01.10.2021 से 01.11.2021	998912.00
			01.11.2021 से 01.12.2021	1027368.00
		शक्ति खण्ड-4 इन्दिरापुरम, गाजियाबाद (48 MLD MPS)	01.10.2021 से 01.11.2021	42768.00
			01.11.2021 से 01.12.2021	36112.00
		शक्ति खण्ड-4 इन्दिरापुरम, गाजियाबाद (74 MLD STP)	01.10.2021 से 01.11.2021	3268435.00
			01.11.2021 से 01.12.2021	3245554.00
		सीवेज पम्प जी०डी० मार्केट सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद	01.09.2021 से 01.10.2021	238837.00
			01.10.2021 से 01.11.2021	260285.00
		सीवेज पम्प नगर निगम सेक्टर-1 निकट मैक्स अस्पताल वैशाली, गाजियाबाद	01.09.2021 से 01.10.2021	220612.00
			01.10.2021 से 01.11.2021	205450.00
		सीवेज पम्प सप्तम खण्ड सेक्टर-19 वसुन्धरा गाजियाबाद	04.09.2021 से 03.10.2021	163931.00
			03.10.2021 से 08.11.2021	186489.00
		सीवेज पम्प निकट कनावनी पुलिया सेक्टर-5, वसुन्धरा, गाजियाबाद	02.09.2021 से 02.10.2021	572392.00
			02.10.2021 से 01.11.2021	596957.00

ऐजेण्डा क्र0सं0	शहर/ टाउन का नाम	एस0टी0पी0/ पम्पिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि रु0
		सीवेज पम्प सी-ब्लॉक पार्क शालीमार गार्डन (56 एम0एल0डी0) इन्दिरापुरम/ जनकपुरी एस0पी0एस0, गाजियाबाद	01.09.2021 से 01.10.2021	303875.00
			01.10.2021 से 01.11.2021	286535.00
		सीवेज पम्प सूर्यनगर (56 एम0एल0डी0) इन्दिरापुरम/ ब्रज विहार एस0पी0एस0, गाजियाबाद	01.09.2021 से 01.10.2021	103267.00
			01.10.2021 से 01.11.2021	96610.00
		DLF S/S Treatment Plant, Loni (68 MLD SPS)	01.10.2021 से 01.11.2021	620803.63
			01.11.2021 से 01.12.2021	583112.00
		STP Near DLF S/S Loni, Ghaziabad. (30 MLD STP)	01.10.2021 से 01.11.2021	388177.69
			01.11.2021 से 01.12.2021	381147.00
		आई0पी0एस0 लाल महादेव, अनूपशहर		50792.00
		एम0पी0एस0 जोन-बी मोहन ताऊ आश्रम/ चामुण्डा मन्दिर	मार्च-2021 से सितम्बर-2021 तक	139685.00
		एम0पी0एस0 जोन-ए आहार गेट		142226.00
		एम0पी0एस0—एस0टी0पी0—03 एम0एल0डी0, पिलखुआ	01.08.2021 से 05.09.2021	283307.34
			05.09.2021 से 09.10.2021	86154.00
		आई0पी0एस0 02 एम0एल0डी0, पिलखुआ	31.08.2021 से 29.09.2021	40635.00
			29.09.2021 से 27.10.2021	40635.00
	मेरठ	72 एम0एल0डी0, कमालपुर	01.10.2021 से 01.11.2021	2764802.00
			01.11.2021 से 01.12.2021	2618877.00
		योग		1,99,94,742.66
			महायोग	3,25,22,596.20

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु0 3,25,22,596.20 (रु0 तीन करोड़ पच्चीस लाख बाइस हजार पाँच सौ छियानवे व पैसे बीस मात्र) की स्वीकृति वांछित है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत ऐजेण्डा (vi) एवं ऐजेण्डा (vii) में प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा इकाईयों से प्राप्त विद्युत बिलों का परीक्षण किया गया। जोनवार विद्युत व्यय निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि
1	2	3
1	आगरा जोन	1,25,27,853.54
2	गाजियाबाद जोन	1,99,94,742.66
	महायोग	3,25,22,596.20

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु० 3,25,22,596.20 (रु० तीन करोड़ पच्चीस लाख बाइस हजार पाँच सौ छियानवे व पैसे बीस मात्र) वांछित है, जिसकी स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाणित कुल धनराशि रु० 3,25,22,596.20 (रु० तीन करोड़ पच्चीस लाख बाइस हजार पाँच सौ छियानवे व पैसे बीस मात्र) में से क्रमशः आगरा जोन के लिए रु० 1,25,27,853.54 एवम् गाजियाबाद जोन के लिए रु० 1,99,94,742.66 की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी। (कार्यवाही- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/ मुख्य अभियन्ता-सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल)

एजेन्डा (viii) दिनांक 23.10.2021 को अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देश (विन्दु संख्या-5) के अनुपालन में गाजियाबाद जोन (पैकेज-8) में स्थित एस०टी०पी० के ट्रीटेड सीवेज में मूल डिजाइन में फीकल कॉलीफार्म एवं अन्य पैरामीटर्स हेतु जो भी मानक निर्धारित हैं, उनके अनुसार ट्रीटेड सीवेज प्राप्त किए जाने हेतु गठित समिति द्वारा गाजियाबाद जोन के अन्तर्गत दिनांक 22.11.2021 एवं 23.11.2021 को निम्न एस०टी०पी० का निरीक्षण किया गया।

दिनांक 22.11.2021

- (i) 70 एम०एल०डी०, यू०ए०एस०बी० प्लांट डूडाहेडा, गाजियाबाद
- (ii) 56 एम०एल०डी०, एस०बी०आर० प्लांट डूडाहेडा, गाजियाबाद
- (iii) 74 एम०एल०डी०, एस०बी०आर० प्लांट इन्दिरापुरम, गाजियाबाद
- (iv) 56 एम०एल०डी०, यू०ए०एस०बी० प्लांट इन्दिरापुरम, गाजियाबाद
- (v) 30 एम०एल०डी०, एस०बी०बी०आर० प्लांट लोनी, गाजियाबाद

दिनांक 23.11.2021

- (vi) 72 एम०एल०डी०, एस०बी०आर०, मेरठ
- (vii) 38 एम०एल०डी०, यू०ए०एस०बी०, सहारनपुर

उक्त निरीक्षण आख्या में संलग्न श्री डी०पी० सिंह, एक्सपर्ट सदस्य की तकनीकी रिपोर्ट का अध्ययन ओ०एम० एण्ड एम० सेल के श्री मनीष कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता, श्री संजय कुमार सिंह, कन्सल्टेन्ट एवं श्री सौरभ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया। रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात निम्न विन्दु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

(i) 70 एम०एल०डी०, य००५०एस०बी० प्लांट डूडाहेड़ा, गाजियाबाद-

- (अ) फीकल कॉलीफार्म के रिमूवल हेतु उक्त प्लांट में कोई व्यवस्था नहीं है।
BOD < 30 mg/l तथा TSS < 50 mg/l हेतु प्लांट की डिजाइन है।
(ख) जुलाई-21, अगस्त-21 एवं सितम्बर-21 में किये गये एप्लुएन्ट टेस्ट रिपोर्ट में मेसर्स श्री राम लैब, गाजियाबाद की रिपोर्ट बिलकुल ही काल्पनिक है, जो रिपोर्ट में डाटा प्रस्तुत किये गये हैं वह असंभव है एवं वास्तविकता से परे है।
(द) एक्सपर्ट सदस्य द्वारा फीकल कॉलीफार्म को मानक के अनुसार प्राप्त करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं जिसका अनुपालन उम्प्रो जल निगम द्वारा किया जाना है।

(ii) 56 एम०एल०डी०, एस०बी०आर० प्लांट डूडाहेड़, गाजियाबाद-

- (क) उक्त प्लांट में ट्रीटेड सीवेज BOD < 10 mg/l, COD < 100 mg/l तथा TSS < 10 mg/l हेतु डिजाइन है।
(ख) क्लोरीनेशन टैंक का रखरखाव उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है।

(iii) 74 एम०एल०डी०, एस०बी०आर प्लांट इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-

- (क) उक्त प्लांट में ट्रीटेड सीवेज BOD < 10 mg/l, COD < 100 mg/l तथा TSS < 10 mg/l हेतु डिजाइन है।

(iv) 56 एम०एल०डी०, य००५०एस०बी० प्लांट इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-

- (क) उक्त प्लांट में ट्रीटेड सीवेज BOD < 30 mg/l, तथा TSS < 50 mg/l हेतु डिजाइन है।
(ख) उक्त प्लांट में फीकल कॉलीफर्म के रिमूवल हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।
(ग) एक्सपर्ट सदस्य द्वारा फीकल कॉलीफार्म को मानक के अनुसार प्राप्त करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं जिसका अनुपालन उम्प्रो जल निगम द्वारा किया जाना है।

(v) 30 एम०एल०डी०, एम०बी०बी०आर० प्लांट लोनी, गाजियाबाद

- (क) उक्त प्लांट में ट्रीटेड सीवेज BOD < 30 mg/l, तथा TSS < 50 mg/l तथा फीकल कॉलीफर्म < 1000 MPN/ML हेतु डिजाइन है।
(ख) माह जुलाई-21, अगस्त-21 तथा सितम्बर-21 का रिपोर्ट काल्पनिक है तथा डिजाइन के अनुसार यह रिपोर्ट असम्भव है।
(ग) प्लांट में एक मेकैनिकली ऑपरेटेड ग्रिट चैम्बर खराब है तथा इसका मैनुअल ग्रिट चैम्बर की बंद किया है। एम०बी०बी०आर० की एक यूनिट फंक्शनल नहीं है। इसके अरिक्त सेकेण्डरी क्लेरीफायर क्रियाशील नहीं है। इस प्रकार सम्पूर्ण यूनिट के क्रियाशील न होते हुये भी एप्लुएन्ट को निर्धारित मानक से भी कम पर प्राप्त करना असंभव है। अतः टेस्ट रिपोर्ट काल्पनिक है।

(vi) 72 एम०एल०डी०, एस०बी०आर०, मेरठ

- (क) उक्त प्लांट में ट्रीटेड एप्लुएन्ट BOD < 10 mg/l, COD < 100 mg/l तथा TSS < 10 mg/l हेतु डिजाइन है।
(ख) प्लांट में क्लोरीनेशन की व्यवस्था है तथा क्लोरीनेशन टैंक के एप्लुएन्ट में 0.5 mg/l रेसुडुअल क्लोरीन पाई गयी।

(vii) 38 एम०एल०डी०, य००५०एस०बी०, सहारनपुर

- (क) उक्त प्लांट में ट्रीटेड सीवेज BOD < 30 mg/l, COD < 250 mg/l तथा TSS < 50 mg/l हेतु डिजाइन है।
(ख) उक्त प्लांट में फीकल रिमूवल हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।
(ग) निरीक्षण में उक्त प्लांट में चारों रिएक्टर अक्रीयाशीश हैं। रिएक्टर नं-1 बिलकुल बंद है। अन्य तीन रिएक्टर के फीड इनलेट बॉक्स में या तो ओवर पलो हो रहा है अथवा इनमें कोई सीवेज नहीं पहुँच रहा है।

- (घ) पॉलिसिंग पाण्ड का रखरखाव बिल्कुल खराब है तथा अक्रियाशील है।
 (च) उक्त प्लांट के टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल ही काल्पनिक हैं जो वर्तमान प्लांट के कन्ढीशन में प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।
 उक्त रिपोर्ट समिति के संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः— सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत की गयी आख्या के आधार पर समिति द्वारा एजेण्डा (i) के बिन्दु संख्या—५ में दिये गये निर्देशों के अनुसार गुणवत्ता मानक के अनुरूप बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम—नगरीय)

एजेन्डा (ix) अनुबंध के Volume-I, Section-III क्लाज संख्या—2.3 Deposit into Escrow Account (b) में निम्नानुसार वर्णन किया गया है:-

(b) Contractor shall ensure the regular deposit of installment of Major Replacement Funds on monthly Basis.

If at any time during the OM&M Period, the any installment in the Escrow Account fails, Contractor Shall promptly, and in any event, no later than 15 days, ensure that the fund in Escrow Account is maintained. A failure to maintain the Escrow Account for 15 days would be treated as a Contractor Event of Default the installment amount to be deposited with 5% interest with the next installment.

It is clarified that any interest earned on the amounts deposited by Contractor in the Escrow Account will be spend on Major Replacement for the System (STPs) and for Collection System (Main Pumping Stations, Sewage Pumping Station, Intermediate Pumping Stations, Sewer Network and Rising Mains) repair and replacement works.

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त आख्या निम्नवत् हैः—

उक्त के अनुसार मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के प्रत्येक Installment को मासिक आधार पर एस्क्रो एकाउंट में जमा किया जाना है। किसी Installment, Escrow Account की मासिक किश्त जमा करने में 15 दिन से अधिक विलम्ब होने पर 5 प्रतिशत ब्याज लगने के पश्चात ब्याज की धनराशि भी जमा की जानी होगी। उक्त के अनुपालन में ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा एस्क्रो एकाउंट खाते में विलम्ब से वांछित धनराशि जमा करने के कारण ब्याज की गणना की गयी हैं जिसके अनुसार वर्तमान में लखनऊ जोन में रु. 62,03,645.83, आगरा जोन में रु 43,53,276.07, गाजियाबाद जोन रु 48,85,304.27 तथा गोरखपुर जोन में रु. 59,53,239.38 की धनराशि एस्क्रो में देरी से जमा करने के कारण ब्याज के मद में बनती है, जिसकी कटौती अगली बैठक से तत्समय के ब्याज की गणना के अनुसार करने की संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णयः— सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति के आधार पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में प्रस्तुत बीजकों से ब्याज की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित की जाये।

(कार्यवाही—प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम—नगरीय/संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम—नगरीय/मुख्य अभियन्ता, सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल)

एजेन्डा (x) समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक के दौरान दी गयी अनुमति के अनुसार अन्य एजेण्डा बिन्दु निम्नवत् रखें गयें:-

अन्य एजेन्डा (x.i) मेसर्स तोशिबा वॉटर सॉल्यूशन्स प्रा०लि० द्वारा मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत वार्षिक (मासिक किश्तों) जमा की जाने वाली कुल धनराशि रु 7.00 करोड़ को कम करने हेतु अनुरोध किया गया है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर जोन (पैकेज-५) में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड में एस्क्रो एकाउंट में अधिक धनराशि जमा किए जाने के कारण फर्म के पास प्लांट/सीवर नेटवर्क के

संचालन/रखरखाव हेतु आवश्यक फण्ड उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे कठिनाई उत्पन्न हो रही है। मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष एस्क्रो एकाउंट में ₹ 7.00 करोड़ वार्षिक एवं प्लाट तथा सीवर नेटवर्क के संचालन/रखरखाव हेतु ₹ 6.32 करोड़ वार्षिक अर्थात् ₹ 52.66 लाख मासिक धनराशि ही उपलब्ध हो सकती है जो अपर्याप्त है। फर्म को इनके संचालन एवं रखरखाव हेतु कोई वित्तीय लाभ नहीं हो रहा है तथा तैनात कुशल/अकुशल मानवशक्ति, आधुनिक सीवर मशीनों तथा एस0टी0पी0 संचालन में प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स, लैब टेस्टिंग इत्यादि कार्यों पर अधिक व्यय करना पड़ता है जिसके कारण फर्म निगेटिव साइड में रहती है।

ओ० एम० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त दरें निविदा के माध्यम से फर्म द्वारा स्वयं डाली गयी हैं अतः फर्म द्वारा किया गया उपरोक्त अनुरोध उपयुक्त नहीं है जिस पर फर्म द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा गोरखपुर पैकेज, वाराणसी पैकेज, प्रयागराज पैकेज, मथुरा पैकेज हेतु निविदा डाली गयी थी तथा उक्त चारों पैकेजों में उनकी फर्म L-1 थी परन्तु किन्हीं कारणोंवश उन्हें सिर्फ गोरखपुर पैकेज ही आवंटित किया गया।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि इस हेतु श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में कमेटी गठन कर ली जाये जिसका रवूप निम्नवत् होगा:-

1. श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग	-	अध्यक्ष
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	-	सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष्मी) उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	-	सदस्य
4. सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय	-	सदस्य
5. श्री आर०क्ष० पंकज, अधी०अभि०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	-	सदस्य सचिव

उपरोक्त कमेटी अपनी रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(कार्यवाही:-गठित समिति / ओ०एम० एण्ड एम० सेल)

अन्य एजेन्डा (x.ii) मेसर्स तोशिवा वॉटर सॉल्यूशन्स प्रा०लि० द्वारा कोविड लॉकडाउन के दृष्टिगत अनुबन्ध के Force Majeure (None Political Event) को लागू करते हुये अनुबन्ध के क्लाज- 39.4 (II) (P-113) में For Initial 6 Months में दी गयी समयसीमा के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी के कारण 22 मार्च, 2020 से 31 मई 2020 तक लॉकडाउन होने के कारण समयवृद्धि प्रदान करने का अनुरोध किया है।

ओ० एम० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा कोविड-19 के कारण समयवृद्धि हेतु उक्त प्रस्ताव सीधे निदेशालय को प्रेषित किया गया है। उ०प्र० जल निगम द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति अंकित नहीं की गयी है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि कोविड-19 के कारण अन्य पैकेज यथा (पैकेज-4) लखनऊ जोन एवं पैकेज-आगरा जोन हेतु Initial 6 months की समय सीमा क्रमशः 66 दिन एवं 68 दिन पूर्व में समिति द्वारा स्वीकृति की जा चुकी है। अतः यदि उ०प्र० जल निगम से संस्तुति प्राप्त होती है तो अनुबंध के क्लाज-39.4 (II) (a) (P-113) में For Initial 6 Months (a) Fixed Payment में वर्णित समय सीमा को अनुबंध के क्लाज- 54.1 Force Majeure (Non-Political Event) के दृष्टिगत बढ़ाया जा सकता है।

मा० अध्यक्ष, समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष्मी) इस संबंध में प्रकरण का गहन परीक्षण कर सुस्पष्ट संस्तुति/मंतव्य के साथ अपनी रिपोर्ट ओ०एम० एण्ड एम० सेल को प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही:-मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष्मी) उ०प्र० जल निगम- नगरीय)

अन्य एजेन्डा (x.iii) मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग व मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध में उल्लेखित सीवर की लंबाई से अधिक लम्बाई की सीवर फर्म द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में मैन्टेन की जा रही है जिसका कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जा रहा है। फर्म द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुबंध से अतिरिक्त कार्यों हेतु वैरियेशन अनुमन्य किया जाये।

31

ओ० एम० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा में निविदादाता को यह स्पष्ट निर्देश थे कि निविदादाताओं को क्षेत्रों का भ्रमण करते हुये संबंधित सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर का आकलन करने के उपरान्त ही दरें दी जानी थी।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में पूर्व में बैठक सम्पन्न हुयी है जिसके निर्णय को समिति के समक्ष रखने के उपरान्त इस विषय पर निर्णय लेना समीचीन होगा।

मा० अध्यक्ष, समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि इस संबंध में पूर्व में विभिन्न स्तर पर सम्पन्न बैठकों में लिये गये निर्णय एवं अनुबंध की सुसंगत धाराओं का अध्ययन कर ओ०एम० एण्ड एम० सेल अपनी सुस्पष्ट आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करें।


(कार्यवाही:- सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल)


सदस्य—सचिव

मुख्य अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत)
अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश



सदस्य

उप/सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ



for AS
२३/१२/२०२१


सदस्य—सचिव

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ


सदस्य
२३/१२/२०२१

निदेशक नगरीय निकाय
निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ


सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ


अध्यक्ष २३/१२/२१
अपर प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, उ०प्र०
शासन